UPME010089982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2543/2026</u>

कमल दत्त शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा, निवासी–ए–85 श्रीराम पैलेस दिल्ली रोड।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–166/2014
अं0धारा–147,148,149,307,427,506
भा0द0सं0 व धारा–7 क्रि0लॉ0ए0ऐक्ट
थाना–कोतवाली, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री आदेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

<u>दिनांक–22.07.2026</u>

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त कमल दत्त शर्मा की ओर से मुकदमा अपराध सं0–166/2014, अं0धारा–147,148,149,307,427,506 भा0द0सं0 व धारा–7 क्रि0लॉ0ए0ऐक्ट, थाना–कोतवाली, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 10.05.14 को समय करीब 01.30 बजे दोपहर वादी के पास मस्जिद के इमाम साहब व मस्जिद के किरायेदार, दुकानदार ने इत्तिला दी कि मस्जिद के बाहर मस्जिद की जमीन पर आम जनता के निःशुल्क शीतल जल हेतु एक वाटर कुलर रखने के लिए कुछ निमार्ण कार्य कराया जा रहा था, तो तभी विजय आन्नद पार्षद, दीपक शर्मा गौरव पार्षद, पीयूष शास्त्री पूर्व पार्षद, कमलदत्त शर्मा, सचिन नामदेव व राजकिशोर के नेतृत्व में 40–50 लोगों की भीड़ ने धार्मिक,

साम्प्रदायिक द्वेष पूर्ण नारे लगाते हुये कहा कि अब मोदी की सरकार आ रही हैं तो इमाम साहब ने बाअदब तरीके से संयम रखते हुये समझाने का प्रयास किया तो उपरोक्त विजय आनन्द पार्षद ने अपने साथियों की पुकार व मांग पर इमाम साहब को जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे वो बाल–बाल बच गये। इन दंगाईयों का नेतृत्व करने वाले उक्त सातों व्यक्तियों के हाथों में तमंचे व पिस्तौल थी, जिससे फायरिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमानों को खत्म कर दो। इन सभी व्यक्तियों की फायरिंग, पथराव करते हुये वाटर कुलर के लिये बनाये जा रहे स्थान को तोड़ दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई, दुकानें व बाजार बन्द हो गये। लोग घरों में घुस गये अफरा–तफरी मच गई। ये लोग आते–जाते मुस्लिम लोगो के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करते रहे। इस घटना के गवाह इमाम साहब शहजाद, मस्जिद के किरायेदार व दुकानदार आदि है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है।
- प्रार्थी/अभियुक्त शहर विधान सभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुका है। वह एक राजनैतिक व्यक्ति है तथा शहर में सामाजिक सेवा करता है। वर्ष 2024 में सपा सरकार में राजनैतिक कारणों से उसपर उपरोक्त फर्जी घटना बनाकर एक साथ दो झूठे मुकदमें दर्ज कराये गये।
- विवेचना में कभी भी विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का पक्ष जानने का प्रयास नहीं किया गया। उल्टा चुपचाप आरोपपत्र प्रेषित कर दिया, जिसे उसे कभी कोई जानकारी नहीं रही।
- कथित घटना में किसी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है।
- सह–अभियुक्तगण की जमानतें स्वीकार की जा चुकी हैं।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी को कोई चोट नहीं आयी है। सह–अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

8. अभियोजन की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में कोई सहयोग नहीं दिया गया है। उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी है। सह–अभियुक्तगण की अग्रिम जमानतें सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी थी।

9. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर धार्मिक, साम्प्रदायिक द्वेष पूर्ण नारे लगाने, इमाम साहब पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा पथराव करते हुये वाटर कुलर के लिये बनाये जा रहे स्थान को तोड़ने के आरोप हैं।

10. प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2014 को पंजीकृत हुई थी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित करते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया, जिसपर दिनांक 03.02.2021 को संज्ञान लिया गया।

11. आरोपपत्र पर संज्ञान लिये जाने के पश्चात से प्रार्थी/अभियुक्त आज तक विद्वान अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं और उसके विरूद्ध वर्ष 2024 में गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये।

12. आरोपपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने से शहर में साम्प्रदायिक माहौल खराब हो सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है, अतः उनकी गिरफ्तारी के बिना आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

13. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा उसके विरुद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर धार्मिक एवं साम्प्रदायिक द्वेष फैलाने, इमाम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने,

पथराव करने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द भंग करने जैसे गंभीर आरोप हैं। आरोपों की प्रकृति केवल साधारण मारपीट तक सीमित न होकर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने एवं लोक–शांति को प्रभावित करने से संबंधित है, जिसका समाज पर व्यापक एवं गंभीर प्रभाव पड़ता है।

14. अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गैर–जमानतीय वारंट निर्गत हो चुके हैं तथा वह दीर्घ अवधि तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग प्रदान नहीं करता आया है, जो प्रथमदृष्टया उसके आचरण के प्रतिकूल होने का संकेत देता है। सह–अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

15. अग्रिम जमानत के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की कथित भूमिका, उसके आचरण, विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया में उसके सहयोग का तथ्य न होने तथा मामले की समस्त परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

16. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

17. अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त कमल दत्त शर्मा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 22.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)

Digitally signed by ARVIND KUMAR MISHRA
Date: 2026.07.23 15:08:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court